प्रकरण संख्या 19/2024 श्रीमती नवीबाई बनाम श्रीमती डाउबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा में प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 के परिशिष्ठ ''क'' की कुल किता 9 रकबा 0.6850, परिशिष्ठ ''ख'' की कुल किता 7 रकबा 0.4850, परिशिष्ठ ''ग'' की कुल किता 9 रकबा 0.2900, परिशिष्ठ ''घ'' की कुल किता 7 रकबा 0.6100, परिशिष्ठ ''ड'' की कुल किता 1 रकबा 0.0150 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष दोला जी के दो पुत्र नन्दा व गांगा हुए। नन्दा लाऔलाद फोत हुआ तथा गांगा का पुत्र नंगा हुआ, जिसके वारिस प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 व 2 हैं। राजस्व रेकार्ड में परिशिष्ठ ''क'' की सम्पूर्ण भूमि गांगा के नाम अंकित थी। इसी प्रकार परिशिष्ठ ''ख'' में गांगा जी का 1/4 हिस्सा, परिशिष्ठ ''ग'' में 1/2 हिस्सा, परिशिष्ठ ''घ'' में 1/4 हिस्सा, परिशिष्ठ ''ड'' में 1/8 हिस्सा अंकित था। उक्त भूमियां मौरूसी होने से प्रार्थीगण का भी विपक्षी संख्या 1 व 2 के समान हक व अधिकार निहित है। उक्त भूमिंया नंगा जी की स्वअर्जित नहीं थी, फिर भी नंगा जी ने परिशिष्ठ ''क'' में अंकित आराजी नंबर 2351, 2352, 2386 कुल किता 3 रकबा 0.3800 हैक्टर का नुमाईशी विक्रय विपक्षी संख्या 3 से 5 के पक्ष में कर दिया है, जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य है, क्योंकि नंगा जी को सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें केवल 1/8 हिस्सा विक्रय करने का ही अधिकार था। इसी प्रकार परिशिष्ठ ''क'' में अंकित आराजी नंबर 2367, 2368, 2371 से 2374 रकबा 0.03050 हैक्टर की वसीयत विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में निष्पादित कर दी है, जो प्रारम्भ से शून्य है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त भूमि में से 0.1050 हैक्टर का विक्रय विपक्षी संख्या 4 के पक्ष में कर दिया है, जो अवैध व शून्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.07.2017 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 4 द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट का मूलवाद से नाम हटा दिया गया है और वादीगण कोई अनुतोष नहीं चाहने से अब अपीलान्ट के हिस्से के सन्दर्भ में कोई स्थगन नहीं है, किन्तु अपीलान्ट दिनांक 31.05.2024 को पटवारी हल्का के पास नकल लेने गये से पता चला की स्थगन का नोट लगा हुआ है। तत्पश्चात नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.07.2017 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 06.09.2017 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में करीब 7 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत हुई है तथा देरी का जो कारण बताया है वह इतने वर्षो के विलम्ब हेतु उचित व पर्याप्त कारण प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूलवाद के निस्तारण तक दोनों पक्षों को मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत है, क्योंकि पक्षकारों के मध्य मूलवाद विचारधीन है जिसमें साक्ष्य सबूतों के आधार पर उनके हम अधिकारों का निस्तारण होगा। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 21/2013 निर्णय दिनांक 07.07.2017 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:06:29 IST
Reason: SelfAttested